

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 119 दिनांक 17.01.2018 के द्वारा जारी सेवानिवृत्त आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है।

क्र.सं	नाम कार्मिक मय कार्यरत स्थान सर्वश्री-	पद	किया गया संशोधन
1	सावरमल वर्मा, कार्या. जिशिअ, माशि, श्रीगंगानगर	प्रशासनिक अधिकारी	जन्मतिथि 08.07.58 के स्थान पर 05.07.58 पढ़ा जावे।
2	ललित मोहन आचार्य, कार्या. जिशिअ, माशि-प्रथम, जयपुर	प्रशासनिक अधिकारी	जन्मतिथि 07.10.58 के स्थान पर 10.07.1958 एवं सेवानिवृत्ति तिथि 31.10.18 के स्थान पर 31.07.18 पढ़ा जावे।
3	प्रद्युम्न देवडा, कार्या. कार्या. निदेशक, माशि, राज. बीकानेर	अति. प्रशा. अधिकारी	प्रद्युम्न देवडा के स्थान पर प्रद्युम्न सिंह देवडा पढ़ा जावे।
4	हजारीलाल मीना, कार्या. जिशिअ, माशि-द्वितीय, अलवर	अति. प्रशा. अधिकारी	जन्मतिथि 08.10.58 के स्थान पर 10.08.1958 एवं सेवानिवृत्ति तिथि 31.10.18 के स्थान पर 31.08.18 पढ़ा जावे।
5	राजेन्द्र प्रसाद आचार्य, कार्या. उप निदेशक, प्राशि, अजमेर	अति. प्रशा. अधिकारी	राजेन्द्र कुमार आचार्य के स्थान पर राजेन्द्र प्रसाद आचार्य पढ़ा जावे।
6	अशोक कुमार नायक, कार्या. जिशिअ, प्राशि, टोंक	अति. प्रशा. अधिकारी	अशोक नायक के स्थान पर अशोक कुमार नायक पढ़ा जावे।
7	हीरालाल मीणा, कार्या. उप निदेशक माशि, पाली	अति. प्रशा. अधिकारी	कार्यरत स्थान जिशिअ माशि पाली के स्थान पर उपनिदेशक माशि पाली पढ़ा जावे।

प्रपत्र-6 आदेश के अन्तिम पैरा में दिये गये प्रमाण पत्र में अति. प्रशा. अधिकारी के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारी एवं संस्थापन अधिकारी के लिये भी प्रमाण पत्र के बिन्दु 1 से 3 के लिये शामिल किया जाता है। शेष शर्तें पूर्व आदेश के अनुसार यथावत रहेगी।

(प्रकाश चन्द्र जाटोलिया)
उपनिदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/साप्र/बी-1/3104/2018-19/173

दिनांक 19/1/18

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. संबंधित, संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेन्शनर्स कल्याण विभाग
3. निदेशक, एसआईआईआरटी, उदयपुर
4. संबंधित, उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग/
5. संबंधित, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारम्भिक) प्रथम/द्वितीय
6. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा/संबंधित कार्मिक/निजी गार्ड पंजिका
7. संबंधित संस्था प्रधान, उक्त अधिकारियों के विरुद्ध सेवानिवृत्ति तिथि तक कोई विपरित स्थिति होती है तो संस्था प्रधान तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें।

सहायक निदेशक (प्रशासन)